

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-1-9/2017/38-1/1849/sec 2/17

भोपाल, दिनांक 3.8.2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय: शैक्षणिक सत्र 2017-18 एवं आगामी सत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था बाबत।

संदर्भ: 1. क्रमांक एफ-01-67/2015/38-1, दिनांक 29.12.2015
2. क्रमांक एफ-1-13/2016/38-1, दिनांक 21.04.2016
3. क्रमांक एफ-1-13/2016/38-1, दिनांक 18.07.2016

—00—

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल के पदों पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय, निर्धारित मापदण्डों एवं अध्यापन संबंधी उपरोक्तानुसार जारी संदर्भित निर्देशों के प्रकाश में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की नवीन व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. सामान्य:

1.1 (अ) अतिथि विद्वानों की व्यवस्था महाविद्यालय में केवल स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जाएगी।

1.2 (ब) संस्कृत महाविद्यालयों के अराजपट्टित संवर्ग के शिक्षकीय रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी।

1.3 रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वान की व्यवस्था वास्तविक अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत् छात्र-संख्या के आधार पर निर्धारित वर्कलोड एवं कालखण्ड के अनुसार की जाएगी।



2. चयन की प्रक्रिया (पद क्रमांक-1 में उल्लेखित व्यक्तियों हेतु) :
- 2.1 सत्र प्रारंभ की स्थिति में कार्यभार के आधार पर महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रन्थपाल/क्रीड़ाधिकारी संवर्ग के शिक्षकों की जानकारी प्राचार्यों द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय को उपलब्ध कराई जाएगी। इन रिक्तियों की जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु तैयार वेब पोर्टल पर जनसाधारण हेतु प्रकाशित की जावेगी।
- 2.2 संचालनालय स्तर पर महाविद्यालयवार ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध वर्कलोड होने पर अतिथि विद्वानों को उस शैक्षणिक सत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- 2.3 अतिथि विद्वानों का आमंत्रण अधिकतम आवश्यकतानुसार 11 माह के लिए किया जाएगा तथा सेमेस्टर पद्धति के अनुसार हर सेमेस्टर के पश्चात् इन्हें 15 दिवस का ब्रेक दिया जायेगा। अतिथि विद्वान द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का कार्य किया जा सकेगा तथा उसी हिसाब से उन्हें मानदेय भी प्राप्त होगा।
- 2.4 अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए कार्य का लाभ भविष्य में दिये जाने के लिए 11 माह को एक शिक्षण सत्र माना जायेगा।
- 2.5 (अ) अतिथि विद्वानों के लिए प्रकाशित विषयवार, महाविद्यालयवार स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन (संस्कृत महाविद्यालय के अराजपत्रित संवर्ग को छोड़कर) प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकता है, इसके पश्चात् त्रुटि सुधार संभव नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन स्वतः लॉक हो जावेगा।
- (ब) दृष्टि बाधित आवेदकों के आवेदन शासकीय महाविद्यालय द्वारा भरे तथा सत्यापित किये जा सकते हैं।
- 2.6 आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन केवल अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराये गये वेब-पोर्टल पर प्रस्तुत किये जावेंगे। मैरिट अंकों के निर्धारण के लिए प्रस्तुत समस्त तथ्यों के प्रमाण स्वरूप आवेदक को समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अंकसूचियों की स्कैन प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन किये गये आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। यह समस्त दस्तावेज जनसामान्य के अवलोकन के लिए वेब-पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।



- 2.7 (संशोधित) पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा चिन्हित शासकीय महाविद्यालयों से समय-सारिणी अनुसार समय सीमा में मूल दस्तावेजों से आवेदन की जानकारी का सत्यापन कराना आवश्यक होगा।
- 2.8 आवेदनकर्ता केवल किसी एक शैक्षणिक संभाग हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक एक से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है तो ही वह उन विषयों में अपना आवेदन पृथक-पृथक उसी संभाग के लिए ही प्रस्तुत कर सकेगा।
- 2.9 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पात्र आवेदकों की संभागवार प्रावधिक मेरिट लिस्ट, उनके द्वारा अपलोडेड दस्तावेज, उनके प्राप्तांक संचालनालय द्वारा वेब-साईट/वेब-पोर्टल पर प्रकाशित किए जायेंगे।
- 2.10 कंडिका 2.9 द्वारा जारी आवेदकों की मेरिट सूची एवं आवेदक के अपलोडेड दस्तावेज जनसाधारण हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी पंजीकृत आवेदक को यदि किसी अन्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों पर आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत वेब-पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज कर सकेंगे। केन्द्रीय/संभाग स्तर पर शिकायत प्रथमदृष्टया मान्य होने की स्थिति में जिन आवेदकों के विरुद्ध शिकायत की गयी है, को ई-मेल/एस.एम.एस. द्वारा अथवा वेब-पोर्टल पर सूचित किया जावेगा कि उसे अपने दस्तावेजों का सत्यापन निवास पते पर दर्ज जिले के अग्रणी महाविद्यालय द्वारा करवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाने अथवा आवेदन में जानकारी गलत पाये जाने की स्थिति में उसका नाम मेरिट सूची से विलोपित कर दिया जावेगा। शिकायतकर्ता की आपत्ति गलत होने की स्थिति में शिकायतकर्ता का आवेदन निरस्त किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार आपराधिक प्रकरण संबंधितों के विरुद्ध दर्ज किया जा सकता है।
- 2.11 कंडिका 2.10 के अनुसार संभागवार अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन वेब-पोर्टल पर किया जावेगा यह सूची संपूर्ण सत्र 2017-18 के दौरान मान्य रहेगी।
- 2.12 पंजीयन एवं आवंटन की प्रक्रिया
- (i) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का संक्षिप्तिकरण करते हुए प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में आमंत्रण के आधार पर अतिथि विद्वानों की आवश्यकता हेतु



विज्ञापन प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों, विभागीय वेब-साईट एवं अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु तैयार पोर्टल पर जारी किया जावेगा।

- (ii) विज्ञापन में वर्णित समय-सीमा में इच्छुक आवेदक अपना पंजीयन वेब-पोर्टल पर करते हुए किसी एक शैक्षणिक संभाग का चयन कर सकेंगे।
- (iii) दो या दो से अधिक विषयों में पात्रता रखने वाले आवेदक भी किसी एक ही संभाग हेतु अपना पंजीयन करेंगे, परन्तु अलग-अलग विषयों हेतु उन्हें पृथक-पृथक पंजीयन उसी संभाग हेतु करना होगा।
- (iv) उपरोक्तानुसार पंजीकृत पात्र आवेदकों की प्रावधिक मेरिट सूची वेब-पोर्टल पर प्रकाशित की जावेगी। सूची में स्थान आवेदकों के अपलोडेड दस्तावेज जनसाधारण /पंजीकृत आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- (v) पंजीकृत आवेदक यदि प्रावधिक मेरिट सूची में वर्णित किसी आवेदक के सम्बंध में कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समयावधि में अपनी शिकायत वेब-पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
- (vi) उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु कार्यवाही आवेदक को कंडिका 2.10 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार करनी होगी। इसके उपरांत अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट/वेब-पोर्टल पर किया जावेगा।
- (vii) अंतिम मेरिट सूची के आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा में आमंत्रण हेतु महाविद्यालयों की वरीयता दर्ज करना होगी। संभाग में कंडिका-1 अनुसार विषयवार रिक्त पदों की अधिकतम संख्या अनुरूप ही वरीयताओं हेतु विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
- (viii) विकल्प प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को कंडिका 3.1 का पालन करते हुए महाविद्यालय आवंटित किये जावेंगे।
- (ix) आमंत्रित आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में समय-सारिणी अनुसार अपनी उपस्थिति देकर ज्वाइन करना होगा। ज्वाइनिंग के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण उपरांत ही ज्वाइनिंग दी जावेगी एवं इसकी पुष्टि पोर्टल पर निर्धारित अवधि में की जावेगी।
आवेदक के ऑनलाइन पंजीयन फार्म में किसी भी प्रकार की विसंगति प्राप्त होने पर प्राचार्य द्वारा उस पंजीयन फार्म को अमान्य करने की कार्यवाही पोर्टल पर की जावेगी। ऐसे आवेदक उस पत्र हेतु अमान्य रहेंगे।
- (x) स्थानांतरण आदि के कारण पालन-आउट हुए आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने का दायित्व संबंधित आवंटित महाविद्यालय का होगा।



- (xi) फालन-आउट आवेदकों को अगले चरण हेतु पुनः वरियतायें प्रस्तुत करना होगी।
- (xii) आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में ज्वाइन न करने पर उसे अगले चरण में रिक्त स्थानों पर पुनः वरियता देनी होगी परंतु आवेदक को प्रथम वरियता पर आवंटन होने एवं उस पर ज्वाइन न करने पर उसे अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- (xiii) आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जावेगी। समस्त चरणों की प्रक्रिया एक समान रहेगी।
- (xiv) सम्पूर्ण सत्र के दौरान यदि किसी महाविद्यालय में किसी विषय में कोई पद रिक्त रह जाता है तो कंडिका 2.12 अनुसार जारी मेरिट सूची से गुणानुक्रम के आधार पर उपलब्ध आवेदकों को वेब-पोर्टल पर अथवा ई-मेल/एस.एम.एस. द्वारा आमंत्रण हेतु सूचित किया जावेगा एवं उन्हें निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।

2.13 अतिथि विद्वानों की सूची जारी होने के पश्चात् "आमंत्रण चयन पत्र" वेबसाइट से डाउनलोड कर चयनित अभ्यर्थी चयन पत्र में दर्शित तिथि तक या उसके पहले प्राचार्य को सौंपें तथा दस्तावेज परीक्षण व पश्चात् कार्यभार आमंत्रण-पत्र प्राचार्य से प्राप्त करेंगे। इस आमंत्रण पत्र के आधार पर निर्धारित समयावधि में अतिथि विद्वान को महाविद्यालय में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण करना होगा।

2.14 यदि आवेदनकर्ता अनावश्यक रूप से अपने नाम के कुछ अक्षरों में हेरफेर कर एक से अधिक आवेदन करते हैं तो इससे आमंत्रण की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित होती है। इस तरह आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को आगामी 02 वर्षों के लिए ब्लैक-लिस्टेड किया जावेगा।

2.15 प्रत्येक चरण में महाविद्यालयों में उपस्थित/रिक्त रह गये पदों की जानकारी पोर्टल पर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित समयसीमा में दर्ज की जावेगी। समस्त चरणों की समाप्ति उपरांत किसी महाविद्यालय में रिक्त रह गये पद की जानकारी वेब-पोर्टल पर दर्ज करते ही कंडिका 2.11 की अंतिम मेरिट सूची के पात्र आवेदकों को आमंत्रण की सूचना वेब-पोर्टल द्वारा ई-मेल/एस.एम.एस. द्वारा दी जावेगी।

2.16 समस्त चरणों की समाप्ति के उपरांत महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि किसी कारणवश "फालन आउट" स्थिति में आता है तो महाविद्यालय के प्राचार्य को वेब-पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करते ही कंडिका 2.11 की अंतिम मेरिट सूची में अतिथि विद्वान के नाम के सम्मुख

“फालन आउट” दर्ज हो जावेगा। इस प्रकार उसका नाम आमंत्रण हेतु मेरिट सूची में उपलब्ध हो जावेगा।

2.17 सम्पूर्ण सत्र के दौरान यदि किसी महाविद्यालय में पद की स्थिति उदभूत होती है तो महाविद्यालय के प्राचार्य को पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल के माध्यम से जानकारी दर्ज करना होगी। पोर्टल पर जानकारी दर्ज करते ही पोर्टल स्वतः ही आवेदकों को मेरिट के आधार पर रिक्त स्थानों की सूचना वेब-पोर्टल पर अथवा ई-मेल/एस.एम.एस. द्वारा देगा।

3. आमंत्रण हेतु मापदण्ड :

आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंकों का निर्धारण सामान्यतः यू.जी.सी. नियमन-2010 (महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबद्ध न्यूनतम अर्हताओं); विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 04 मई 2016 (भारत का राजपत्र दिनांक 10 मई 2016) एवं म.प्र. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 संशोधन दिनांक 14.08.2003, 28.06.2008 एवं 27.02.2009 तथा 29.12.2015 के अनुसार रहेगी।

3.1. अंतिम मेरिट सूची स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनायी जायेगी, परन्तु सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी और लायब्रेरियन के पद पर अतिथि विद्वान के आमंत्रण हेतु वरियता का क्रम निम्नानुसार रहेगा:

श्रेणी-1: संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट

श्रेणी-2: संबंधित विषय में पी-एच.डी. अथवा नेट/सेट

श्रेणी-3: संबंधित विषय में एम.फिल.

श्रेणी-4: न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक

टीपः

(1) श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के आवेदकों पर विचार किया जावेगा।

(2) दिनांक 11 जुलाई 2009 के पश्चात् दूरस्थ माध्यम से अर्जित पी-एच.डी. एवं एम. फिल की उपाधि मान्य नहीं होगी।



(3) आवेदक जिनके स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम ग्रेड पॉइन्ट में दिए गए हैं, वे संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार ग्रेड-पाइंट को प्राप्तांक प्रतिशत में परिवर्तित कर उनका उल्लेख अतिथि विद्वान हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेंगे।

3.2

अनुभव हेतु अंक पूर्व में कार्यरत अतिथि विद्वानों को वरियता देने के लिए अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षों के आमंत्रण पत्रों को जिस पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण कार्य किया हो प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोड़ा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया है उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा; यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड के मध्य चार अंक तथा 101 से 150 कालखण्ड के मध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। संस्कृत महाविद्यालयों के अराजपत्रित शिक्षकों हेतु 100 कार्य दिवस हेतु 2 अंक एवं 50 कार्य दिवस एवं उससे कम पर 1 अंक दिया जाएगा।

टीपः

- (i) शासकीय महाविद्यालयों में जिन अभ्यर्थियों ने स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार अनुभव के आधार पर वरियता के अंकों का लाभ दिया जावेगा।
- (ii) राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों में संबंधित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अनुभव को भी उपरोक्तानुसार मान्य किया जावेगा।
- (iii) क्रीड़ा अधिकारी एवं लाइब्रेरियन के लिए कालखण्ड के स्थान पर कार्य दिवस प्रतिस्थापित करते हुए अनुभव के अंकों का निर्धारण किया जाएगा।

3.3

समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।



इसी प्रकार विकलांग अभ्यर्थियों को भी प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।

3.4 न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी यू.जी.सी. नियमन-2010 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 04 मई 2016 (भारत का राजपत्र दिनांक 10 मई 2016) के अनुरूप होगी:

- (i) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- (ii) पी-एच.डी. उपाधि धारक आवेदक जिन्होंने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो, के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- (iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

3.5 क्रीडा अधिकारी के लिए मेरिट के आधार पर उन्हीं आवेदकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।

3.6 ग्रन्थपाल के लिए मेरिट के आधार पर उन्हीं आवेदकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान (Library Science)/ सूचना विज्ञान (Information Science)/ प्रलेखन विज्ञान (Documentation Science) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो।

3.7 संस्कृत महाविद्यालयों में अराजपत्रित संवर्ग के शिक्षकों (व्याख्याता संस्कृत शिक्षक/ प्रशिक्षक स्नातक, सहायक व्याख्याता/ सहायक शिक्षक) की चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। विभिन्न पदों के लिए योग्यता के मापदण्ड मध्यप्रदेश संस्कृत शिक्षा भर्ती नियम 1990 के अनुसार होगी। चयन हेतु वरियता क्रम निम्नानुसार रहेगा:



3.7.1 व्याख्याता :

3.7.1.1 संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से आचार्य (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

3.7.1.2 संस्कृत से विभिन्न विषय के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में एम.ए.

3.7.2 शिक्षक/प्रशिक्षक स्नातक :

3.7.2.1 संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से शास्त्री (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

3.7.1.2 संस्कृत से विभिन्न विषय के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

3.7.3 सहायक व्याख्याता/सहायक शिक्षक

3.7.3.1 मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तर माध्यमा, (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)


3.7.3.2 संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याता, शिक्षक/प्रशिक्षक स्नातक एवं सहायक व्याख्याता/सहायक शिक्षक का चयन उपरोक्तानुसार अर्हकारी परीक्षा/डिग्री के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

3.8 अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।

4. अन्य शर्तें:

4.1 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। और वे लोक,सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक-सेवक" नहीं माने जाएंगे।

4.2 आमंत्रण-पत्र प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किया जाएगा। यह आमंत्रण पत्र आवेदक चयन पत्रक संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुति की दिनांक से जारी किया जाएगा। चयन पत्रक में अंकित तिथि के बाद आमंत्रण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय भुगतान व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा की जाएगी, एवं इस व्यय की



प्रतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को राशि आवंटित की जाएगी।

- 4.3 जनभागीदारी समितियों द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद शासन द्वारा समितियों को अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। उक्त अनुदान लेखा प्राचार्यों द्वारा विधिवत संधारित किया जाएगा जो लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। शासन द्वारा निर्धारित मानदेय ही प्रतिपूर्ति हेतु मान्य होगा। लेखा प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय को उस माह में राशि की आवश्यकता नहीं है तथा बाद में भी इस अवधि की राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अतः लेखा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करें।
- 4.4 उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित तथा रिक्त पदों की जानकारी सहित) प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को भेजा जाएगा।
- 4.5 जनभागीदारी समितियों द्वारा उक्तानुसार महाविद्यालयों में मानसेवी व्याख्यान व्यवस्था के लिए नियुक्ति पत्र जारी न किए जाए और न ही किसी प्रकार जनभागीदारी समिति को इस संदर्भ में नियुक्ता माना जाए। प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी की हैसियत से विनम्र भाषा में अतिथि व्याख्यान हेतु विद्वानों को आमंत्रित करने के लिये पत्र भेजे जाए। ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक-पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिए जारी किए जाए। प्रति व्याख्या हेतु मानदेय दर एवं प्रति व्याख्यान की अवधि एवं समय का उल्लेख आमंत्रण पत्र में अनिवार्यतः किया जाए।
- 4.6 मानदेय का निर्धारण :

क्रं.	पदनाम	निर्धारित मानदेय (नवीन दर)
1	अतिथि विद्वान - प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध	रूपये 275 प्रति कालखण्ड अधिकतम रूपये 825 प्रतिकार्य दिवस
2	अतिथि विद्वान - ग्रंथपाल	रूपये 580 प्रतिकार्य दिवस
3	अतिथि विद्वान - क्रीडा अधिकारी	रूपये 580 प्रतिकार्य दिवस
4	अतिथि विद्वान - व्याख्याता/शिक्षक (संस्कृत/संगीत महाविद्यालय)	रूपये 390 प्रतिकार्य दिवस

amr

5	अतिथि विद्वान - संस्कृत (शिक्षक/प्रशिक्षक) स्नातक	रूपये 290 प्रतिकार्य दिवस
6	अतिथि विद्वान - सहायक व्याख्याता/संस्कृत-शिक्षक	रूपये 275 प्रतिकार्य दिवस

- 4.7 महाविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जावेगा, जिसकी जानकारी सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा वेब-पोर्टल पर दर्ज की जाना अनिवार्य होगी।
- 4.8 अतिथि विद्वान को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4.9 अतिथि विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन सेमेस्टर परीक्षा में अर्जित अंको से जोड़कर किया जावेगा। अतिथि विद्वान द्वारा ली गयी कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्राप्त अंको का औसत 'बी-ग्रेड' (48 प्रतिशत) से अधिक होने पर ही आगामी वर्षों के लिए उसके आमंत्रण पत्र पर विचार किया जावेगा।
- 4.10 प्राचार्य महाविद्यालय में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के अध्यापन कार्य एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे। ताकि इस मूल्यांकन का उपयोग अगले वर्ष अतिथि विद्वानों के आमंत्रण के समय किया जा सकेगा।
- 4.11 अतिथि व्याख्यान व्यवस्था के विज्ञापन पूर्व वर्षों के प्रारूप में यथा संशोधन उपरान्त उच्च शिक्षा संचालनालय स्तर से जारी किए जाएंगे तथा इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि आवेदक पत्र महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों के सचिव की ओर से आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा। विज्ञापन में यह भी उल्लेख होगा कि महाविद्यालय तथा विषयवार अतिथि व्याख्यान की आवश्यकता की जानकारी उच्च शिक्षा की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकेगी।
5. अतिथि विद्वानों के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निर्णयों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय स्तर पर अंतिम निर्णय किया जावेगा, यदि किसी विषय-विशेष पर संचालनालय से मार्गदर्शन अथवा निवेशन की आवश्यकता होती है तो क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय से पत्राचार कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(नीरज मंडलोई)

वि.क.अ.सहआयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



पृ. क्रमांक एफ1-9/2017/38-1/1850/Sec2/17

भोपाल, दिनांक 3.8.17

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/निज सहायक, मा.राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
8. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, मध्यप्रदेश।
9. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-2/वि.क.अ./शाखा-3/सी.सी. सेल, मंत्रालय, भोपाल।
10. उपसचिव, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विट्ठन मार्केट, भोपाल।
11. समस्त अधिकारी, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कोषालय एवं उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. कम्प्यूटर सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।



वि.क.अ.सहआयुक्त

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

